




| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.70/2023 | नम्बर व तारीख हुकम जो इस हुकम की तामिलमें जारी हुए |
|------------|--|--|
| 18.4.2023 | <p>पत्रावली आज पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही उपस्थित। प्रतिवादी दिलीप कुमार पुत्र श्री भभूताराम प्रजापत, निवासी- राजकीय अस्पताल के सामने, पाडीव, तहसील व जिला- सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म भभूताराम पुत्र श्री देवाराम जी, राजकीय अस्पताल के सामने, पाडीव, जिला- सिरोही अनुपस्थित।</p> <p>आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा (हाल निलम्बित) द्वारा दिनांक 22.2.2022 को फर्म भभूताराम पुत्र देवाराम जी, राजकीय अस्पताल के सामने, पाडीव, तहसील व जिला- सिरोही में प्रतिवादी दिलीप कुमार से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ सूजी (आनन्द भोग ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-1827 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./609/Act/2022/603 दिनांक 08.3.2022 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 12.4.2023 को प्रतिवादी दिलीप कुमार ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर प्रतिवादी को दिनांक 12.4.2023 को ही सुना गया, जिसने अनुरोध किया कि उसका व्यापार छोटा है एवं यह उसका प्रथम अपराध है। अतः कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करावे।</p> <p>हमने सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 22.2.2022 को फर्म भभूताराम पुत्र देवाराम जी, राजकीय अस्पताल के सामने, पाडीव, तहसील व जिला- सिरोही सिरोही में प्रतिवादी/विक्रेता दिलीप कुमार पुत्र श्री भभूताराम प्रजापत निवासी- राजकीय अस्पताल के सामने, पाडीव, तहसील व जिला- सिरोही से खाद्य पदार्थ सूजी (आनन्द भोग ब्राण्ड) के 4 पैकड पाउचेज (प्रत्येक 500 ग्राम) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए खाद्य पदार्थ सूजी (आनन्द भोग ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1827 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./609/Act/2022/630 दिनांक 08.3.2022</p> | |



.....लगातार

प्रति, जिला अधिकारी
सिरोही-307001

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.70/2023 | नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम को तामिलमें जारी हुए |
|--|---|---|
|  | <p>के अनुसार मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। चूंकि प्रकरण में प्रतिवादी ने उक्त खाद्य पदार्थ सूजी (आनन्द भोग ब्राण्ड) के क्रय का बिल प्रस्तुत नहीं किया है। इससे, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी दिलीप कुमार ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ सूजी (आनन्द भोग ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 52 के तहत प्रतिवादी दिलीप कुमार पुत्र श्री भभूताराम प्रजापत, निवासी- राजकीय अस्पताल के सामने, निवासी- राजकीय पाडीव, तहसील व जिला- सिरौही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म भभूताराम पुत्र देवाराम जी, राजकीय अस्पताल के सामने, पाडीव, तहसील व जिला- सिरौही पर राशि रुपये 1,000/- (अक्षरों रुपये एक हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। प्रतिवादी दिलीप कुमार को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरौही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही के कार्यालय में 7 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 19.5.2023 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  (के.आर.खौड) </p> <p style="text-align: center;">  दिनांक-20/05/2023 </p> | |